



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रं./ 2079 /जि.पं./अनुमति/2017

राजनांदगांव, दिनांक- 24/05/2017

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के शालाओं में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) /शिक्षक (पंचायत) द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदाय किया जाता है ।

क्रं.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का नाम	पद नाम	पदस्थ शाला का नाम	विकासखंड	परीक्षा का नाम जिसके लिए अनुमति चाहा गया है ।	
					परीक्षा का नाम	परीक्षा वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	सतीश सिंह	शिक्षक (पं.)	पू.मा.शाला कुसमी बड़े	डोंगरगढ़	संघ लोक सेवा आयोग	2017
2	शैलेन्द्र सिंह ध्रुव	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला कुम्हली	मोहला	छ.ग. लो.से. आ.	2016
3	गाधितनय टांडिया	शिक्षक (पं.)	पू.मा.शाला पेण्ड्रीडीह	छुरिया	छ.ग. लो.से. आयोग (सहायक संचालक रेशम).	2016
4	श्रीमति कविता सिंह	व्या. (पं.)	हाईस्कूल धौरामांडा	राजनांदगांव		2016
5	छन्नूलाल सिन्हा	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला धनगांव	राजनांदगांव		2016
6	उत्तम गौतम टंडन	शिक्षक (पं.)	पू.मा.शाला गोपालपुर	छुरिया		2017
7	श्रीमति कुमकुम झा	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला तुमड़ीबोड़	डोंगरगांव		2017

शर्तें—

1. संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को स्वाध्यायी रूप से उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा दिवस के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।
2. अध्यापन कार्य प्रभावित न हों इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग तथा संस्था प्रमुख की होगी ।
3. जिन परीक्षाओं के लिए अनुमति दिया जा रहा है केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए ही मान्य होगा ।
4. प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर अनुमति दिया जा रहा है । प्रस्तुत अभिलेख में त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रं./ 2080 /जि.पं./अनुमति/2017

राजनांदगांव, दिनांक- 24/05/2017

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, राजनांदगांव ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड(सर्व) जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सर्व संबंधितको सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)